ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 80

भू-संसाधन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1261.00	3.48	1264.48	1050.00	3.43	1053.43	1396.00	3.44	1399.44
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**1261.00**	**3.48**	**1264.48**	**1050.00**	**3.43**	**1053.43**	**1396.00**	**3.44**	**1399.44**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	3.48	3.48	...	3.43	3.43	...	3.44	3.44
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
बंजर भूमि विकास										
2. राष्ट्रीय बंजर भूमि	2501	2.00	...	2.00	1.30	...	1.30	2.00	...	2.00
विकास बोर्ड	3601	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
	जोड़	*3.00*	*...*	*3.00*	*1.80*	*...*	*1.80*	*3.00*	*...*	*3.00*
3. एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाएं स्कीम	2501	332.00	...	332.00	332.00	...	332.00	445.00	...	445.00
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*333.00*	*...*	*333.00*	*333.00*	*...*	*333.00*	*446.00*	*...*	*446.00*
4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	2501	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	353.00	...	353.00
5. मरूभूमि क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम	2501	215.00	...	215.00	215.00	...	215.00	268.00	...	268.00
6. प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना (पीएमजीजेएसवाई)	2501	200.00	...	200.00	...	...	...	...	...	...
7. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण	2501	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	13.00	...	13.00
	3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	*13.00*	*...*	*13.00*	*13.00*	*...*	*13.00*	*15.00*	*...*	*15.00*
8. जैव-ईंधन	2501	9.00	...	9.00	0.20	...	0.20	45.00	...	45.00
भूमि सुधार										
9. भूमि सुधार	2506	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
	3601	59.50	...	59.50	59.50	...	59.50	122.00	...	122.00
	3602	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
	जोड़	*62.00*	*...*	*62.00*	*62.00*	*...*	*62.00*	*126.00*	*...*	*126.00*
10. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	126.00	...	126.00	125.00	...	125.00	140.00	...	140.00
कुल जोड़		***1261.00***	***3.48***	***1264.48***	***1050.00***	***3.43***	***1053.43***	***1396.00***	***3.44***	***1399.44***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1073.00	...	1073.00	863.00	...	863.00	1130.00	...	1130.00
2. भूमि सुधार	12506	62.00	...	62.00	62.00	...	62.00	126.00	...	126.00
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	126.00	...	126.00	125.00	...	125.00	140.00	...	140.00
जोड़		**1261.00**	**...**	**1261.00**	**1050.00**	**...**	**1050.00**	**1396.00**	**...**	**1396.00**

1. यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सचिवालय के संबंध में व्यय के लिए है ।

2. यह प्रावघान राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड के लिए है ।

3. समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम एक चल रही योजना है, जिसके अन्तर्गत परियोजनाएं माइक्रो वाटरशेड आधार पर शुरू की जाती हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं सामान्यतया गैर डी0पी0ए0पी0 तथा गैर डी0डी0पी0 ब्लॉकों में स्वीकृत की जाती हैं ।

4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसे भूमि, जल तथा प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग की नीति के आधार पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सूखे की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है । यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसे केन्द्र सरकार तथा राज्यों द्वारा समनुरूप आधार पर वित्तपोषित किया जाता है । पहली अप्रैल,1999 से आबंटन, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर बांटा जाता है । यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 182 जिलों में 972 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है ।

5. मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना तथा दीर्घावधि में पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली के लिए भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, इन्हें विकसित करना तथा इन्हें

उपयोग में लाना है और इसके अलावा सिंचाई, वनीकरण, शुष्क भूमि में खेती आदि के जरिए उत्पादन, आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि करना है । वर्ष 1995-96 से मरुभूमि क्षेत्रों की पहचान तीन श्रेणियों के तहत नामतः गर्म रेतीले शुष्क क्षेत्रों, गर्म शुष्क क्षेत्रों तथा शीत शुष्क क्षेत्रों के रूप में की गई है । आबंटन को केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75: 25 के आधार पर बांटा जाता है । यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है ।

7. यह प्रावधान प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण योजना के लिए है । इस योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा सामुदायिक भूमि पर परियोजनाओं के लिए 100% वित्तीय सहायता दी जाती है । निजी भूमि पर परियोजनाओं की लागत केन्द्र सरकार तथा किसानों/निगमित निकाय के बीच 60:40 के अनुपात में बाँटी जाती है ।

8. योजना आयोग ने जैव-ईंधन के विकास से संबंधित समिति की सिफारिशों के अनुसार जैव-ईंधन के संबंध में एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है । ग्रामीण विकास मंत्रालय को केन्द्रक (नॉडल) मंत्रालय बनाया गया है जबकि कृषि मंत्रालय में राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति विकास बोर्ड (एन0ओ0वी0ओ0डी0) को वनेतर बंजरभूमि पर जटरोफा की खेती के लिए केन्द्रक (नॉडल) अभिकरण बनाया गया है । पर्यावरण और वन मंत्रालय वन भूमि पर जटरोफा की खेती के लिए केन्द्रक (नॉडल) अभिकरण है ।

9. भूमि सुधारों के अन्तर्गत राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की योजना के तहत राज्यों को 50:50 के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाती है । भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में भी केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । यह शत प्रतिशत सहायता अनुदान वाली योजना है । अभी तक देश में 582 जिलों को कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है तथा यह योजना देश में 3286 तहसीलों/तालुकों/मंडलों में प्रचालित की गई है ।

10. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है ।